

क्र.सं.	दिनांक आवा या कार्यवाही	वर्दीचंद्र वनाम उमंगल सेनी
		84/2019 आवा विस्तृत रूप से (यथा)
4/4/24		पत्रावली पेश हुई। अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 15/5/24 को पेश हो।
15/5/24		पत्रावली पेश हुई। उमंगल उमंगल सेनी के माते से लेना पड़े। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 23/5/24 को पेश हो।
23/5/24		पत्रावली पेश हुई। उमंगल उमंगल सेनी के माते से लेना पड़े। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 12/6/24 को पेश हो।
12/6/24		पत्रावली पेश हुई। उमंगल उमंगल सेनी के माते से लेना पड़े। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 12/6/24 को पेश हो।
12/7/24		पत्रावली पेश हुई। उमंगल उमंगल सेनी के माते से लेना पड़े। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 31/7/24 को पेश हो।
30/7/24		पत्रावली पेश हुई। उमंगल उमंगल सेनी के माते से लेना पड़े। अतः पत्रावली पूर्णतः नकार दिनांक 30/7/24 को पेश हो।



1/2/2019 (Handwritten)  
 12/6/19 (Handwritten)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर, जयपुर

- राजस्थान वाद राख्या 84/2019
1. वरदीचन्द्र पुत्र स्व. श्री भौरया उर्फ भौरीलाल, उम्र-50 वर्ष,
  2. सीताराम पुत्र स्व. श्री भौरया उर्फ भौरीलाल, उम्र-46 वर्ष,
  3. पाचू पुत्र स्व. श्री भौरया उर्फ भौरीलाल, उम्र-40 वर्ष,
  4. घारीलाल पुत्र स्व. श्री भौरया उर्फ भौरीलाल, उम्र-37 वर्ष
  5. खेमा पुत्र स्व. श्री भौरया उर्फ भौरीलाल, उम्र-62 वर्ष,
- जातियान माली, निवासीयान ग्राम इन्द्रपुरी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम


1. अमित सेनी पुत्र रामनारायण, जाति माली, निवासी ग्राम टीबा श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश सेनी पुत्र कानाराम, जाति माली, निवासी ग्राम इन्द्रपुरी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. भौरीलाल सेनी पुत्र कानाराम, जाति माली निवासी ग्राम इन्द्रपुरी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. नवलकिशोर खेडिया पुत्र गणेशनारायण, जाति रैगर, निवासी रैगरों का मौहल्ला, ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राज. काश्त. अधिनियम

महोदय,



वरदीचंद्र पाचूराम माही  
 सीताराम व्याधीवाल

